

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3622] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2018/भाद्र 20, 1940 No. 3622] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/BHADRA 20, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का.आ. 4776(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपित्त या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

5371 GI/2018 (1)

प्रारूप अधिसूचना

तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य को 194.708 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ दिनांक 18-11-1988 को त्रिपुरा सरकार की राजपत्र अधिसूचना सं. एफ.8 एफ ओ आर डब्ल्यूएल/88/ वीओएल ॥/39253 द्वारा दिनांक 18.11.1988 को घोषित किया गया। अभयारण्य को भू-सर्वेक्षण भूखंडों के संदर्भ में और न कि बाहरी सीमाओं के संदर्भ में अधिसूचित किया गया था। कोर जोन में अभयारण्य में उपलब्ध सबसे अच्छा वन है और यह विशेष रूप से वन्यजीवों के लिए है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है। कोर जोन का कुल क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग किलोमीटर होगा जिसमें से 31.63 किलोमीटर क्षेत्र को बिसोन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सं. एफ.8 (196)/ एफओआर डब्ल्यूएल/204/204/एनपी/वी-2/5503 दिनांक 09-06-2009 द्वारा अधिसूचित किया गया जिसका एकमात्र उद्शेय क्रियाकलापों को नियंत्रित करना और संरक्षित क्षेत्र में भंगुर पारिस्थितिकी प्रणाली पर ऐसे क्रियाकलापों के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।

और, समिति की एक बैठक दिनांक 20.12.2012 को आयोजित की गई थी। समिति ने इच्छा व्यक्त की वनस्पित और जीवजंतु विविधता के अस्तित्व के अध्यधीन अभयारण्य के चारों ओर अधिकतम 0.5 किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करना उचित होगा और इस तथ्य को भी समझते हुए कि अभयारण्य के तीनों दिशाएं इंडो-बांग्ला सीमा से घिरी हुई है और अभयारण्य के निकटवर्ती पर्यावास भी विद्यमान है। बैठक में प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई और प्रस्ताव के अंतिम रूप के संबंध में उनकी टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव पर विचार किया गया।

और, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पित और जीवजंतु जैव-विविधता की समृद्धि के कारण इसका रूपात्मक महत्व है। इस क्षेत्र में प्रमुख प्रजातियों की एक जीवक्षम संख्या है, जैसे गौर, प्राइमेट्स लाइक, हुल्लाक गिब्बन, स्पेक्टेकल बंदर कुल छह प्रजातियों में शानदार बंदर, बड़ी संख्या में जीवजंतु, जो अभयारण्य के उच्च वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र के भाग से हैं और आमतौर पर स्थानीय रूप से या राज्य या देश के स्तर पर लुप्तप्राय होते हैं। अभयारण्य के पारिस्थितिकी कार्य में लाभप्रद मृदा और जल व्यवस्था को बनाए रखने में भी शामिल किया है, जिससे इस क्षेत्र में कृषि और मत्स्य पालन आदि में अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उच्च क्षमता है।

और, अभयारण्य में जंगली भैंसों की संख्या की अच्छी संख्या है और यह राज्य में इस तरह की संख्या वाला एकमात्र अभयारण्य है। इसके अलावा, यह अभयारण्य अनुसूचित प्रजातियों से संबंधित छ: प्राइमेट प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य सरीसृपों की अन्य महत्त्वपूर्ण प्रजातियों की संख्या को पूरा करता है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी अद्वितीय स्थान है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वनस्पति-विज्ञान विभाग द्वारा वनस्पति की खोज में एक शोध किया गया था और इसके निष्कर्षों के अनुसार यहां 400 प्रजातियों हैं। 400 प्रजातियों में से 160 प्रजातियों का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है, 140 प्रजातियों का उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है, 30 प्रजातियों का उपयोग टैनिन और डाई उपज के रूप में, 20 प्रजातियों का फल के लिए, 17

प्रजातियों का सजावटी और हैं, 15 प्रजातियों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, 10 प्रजातियां मसालेदार

प्रजातियों का सजावटी और हैं, 15 प्रजातियों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, 10 प्रजातियां मसालेदार और मसालों के लिए हैं, टीडब्ल्यूएलएस भी एक दुर्लभ जिमनोस्पर्म, जनेरम मोनाटेनम को सम्पोषित करता है।

और, वन्यजीव की गणना 2010 में 18 से 20 फरवरी के दौरान की गई थी। कुल 86 प्रमुख प्रजातियों की गणना की गई थी। उदाहरण में काकड़ हिरण, मिलन तेंदुआ, बनबिलार, पिगेटेड लंगूर, स्पेक्ट्रल बंदर, लजीला वानर, नेवला, सांप ईगल, कठफोड़वा, जंगली मैना, रेड वेंट बुलबुल, स्पेक्ट्रल कोबरा, ग्रे बगुला, ग्रेट बगुला, आदि शामिल हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य में तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (इंडो-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण) से 500 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य मीटर (इंडो-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण) से 500 मीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 19.83 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-।** के रूप में संलग्न है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध ॥ क-ख** में दिया गया है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध III (क)** और **(ख)** में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-**IV के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात:—
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग;
 - (xii) राजमार्ग;
 - (xiii) त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथा सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—
- (1) **भू-उपयोग** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-
- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।
- (ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।
- (घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।
- (ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।
- (च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोत- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/निदयों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सिम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

- (3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :
 - (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
 - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** त्रिपुरा राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा: —
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य

सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

- (15) **वाहन जिंत प्रदूषण:** वाहन जिंत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां**: (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:
 - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
 - (ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सिहत उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सिहत अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम	क्रियाकलाप	टिप्पणी
सं.		
	व	₅ . प्रतिषि द्ध क्रिया कलाप
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की
		पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण
		या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी
		टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर

		सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं
		तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ;
		(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम
		भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल)
		सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम
		भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल)
		सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय
		के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।
	स्थापना ।	जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
4.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे,	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स	
	उडाना आदि।	
	<u> </u>	विनियमित क्रियाकलाप
7.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजांटों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और

		-	
		लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।	
8. वृक्षों की कटाई। (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी		(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना	
		वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी ।	
		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।	
9.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्नाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल/बिहर्स्नाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिशष्ट जल/बिहर्स्नाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।	
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
11.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
12.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	
14.	विद्युत केबलों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	
16.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	
17.	सड़कों की चौड़ाई।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।	
18.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
	संरक्षण ।		
19.	वायु, और ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
20.	संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।	
	पद्धतियां ।		
22.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।	

23.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
24.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
25.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
26.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	माननीय सभापति, दक्षिणी त्रिपुरा जिला परिषद, उदयपुर	-अध्यक्ष
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर	–सदस्य
	रहे गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का विशेषज्ञ	–सदस्य
4.	राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण नामित विशेषज्ञ	–सदस्य
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	–सदस्य
7.	वन्यजीव वार्डन, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य	–सदस्य

6.विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की

जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों. विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/44/2017-ईएसजेड]

डॉ.सतीश चंद्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध-I</u>


संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी भाग में तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में समूखचेररा एवं गरजी
	आर.एफ. होते हैं। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों के साथ छोटी है।
उत्तर पूर्व	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तरी पूर्वी (उ पू) सीमा चंद्रापुर आर एफ
	और उदयपुर सिविल उप-संभाग में है। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों के साथ

	अधिक एवं न्यून नम्र तरंगण होती है।	
दक्षिण पूर्व	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी पूर्वी (द पू) सीमा पूरब	
	पीपराईखोला एवं काशरी मौजा के गैर- वन भूमि में है। क्षेत्र में प्रचुर जैवविविधता में बारहमासी के	
	साथ अधिक तरंगण है।	
दक्षिण	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा जगनाथ धीगी आर एफ	
	में है और क्रमश: पूरबा आनंदपुर, दक्षिण कृष्णापुर, दक्षिण कृष्णापुर और पूरबा आनंदपुर में गैर-वन	
	भूमि का भाग विद्यमान है। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों के साथ छोटी तरंगित है।	
	यहां क्षेत्र में कई धान खेती विद्यमान है।	
दक्षिण	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दक्षिण पश्चिमी भाग इंडो-बांग्लादेश	
पश्चिम	सीमा तक विस्तृत है।	
उत्तर पश्चिम	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का उत्तर पश्चिमी भाग सोनामूरा सिविल	
	उप-संभाग के खेदरबरी, कथालिया एवं दक्षिण ताईबनदई में है और क्रमश: गैर वन भूमि के साथ ही	
	साथ तूलातालीबरी और कोपरचहोला आर.एफ में है। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों	
	के साथ नम्र तरंगण है। क्षेत्र में धान खेती आवर्तक विद्यमान है।	


<u>उपाबंध-IIक</u>

तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



<u>उपाबंध-IIख</u>

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानिचत्र



उपा<mark>बंध-</mark>III

सारणी क : तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य सीमा की सीमा पर जी.पी.एस बिंदु	
1	ਤ 23°16'12.18"	पू 91°20'15.16"
2	ਤ 23º12'34.25"	पू 91°20'29.47"
3	ਤ 23º13'50.81"	पू 91°22'08.87"
4	ਤ 23°16'31.89"	पू 91°24'28.38"
5	ਤ 23°21'02.21"	पू 91°20'44.14"
6	ਤ 23º23'12.35"	पू 91°29'30.21"
7	ਤ 23°24'24.89"	पू 91°32'10.62"
8	ਤ 23°25'30.96"	पू 91°34'35.07"
9	ਤ 23º26'11.19"	पू 91°21'43.85"
10	ਤ 23°26'14.95"	पू 91º18'56.37"

सारणी खः पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (500 मीटर) सीमा पर जी.पी.एस बिंदु
1	ਤ 23°15'53.19"
2	उ 23º12'15.07" पू 91º20'33.16"
3	उ 23°14'01.12" पू 91°22'37.41"
4	उ 23º16'29.99" पू 91º25'23.91"
5	उ 23°20'32.39" पू 91°29'04.16"
6	उ 23°23'03.74" पू 91°30'08.58"
7	उ 23°24'03.64" पू 91°32'13.02"
8	उ 23°25'30.01" पू 91°35'02.59"
9	उ 23°26'19.63" पू 91°21'45.02"
10	उ 23°26'24.15" पू 91°18'43.37"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम		ण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (500 स्थान/ग्राम के जी.पी.एस बिंदु
1	बरपथरी	ਤ 23°17'54.34"	पू 91°24'27.28"
2	पश्चिम पइखोला	ਤ 23°20'34.71"	पू 91º28'20.35"
3	राजपुर	ਤ 23°21'59.52"	ू 91°30'10.79"
4	बइसाबरी	ਤ 23°26'10.82"	पू 91°34'51.56"
5	गरजी	ਤ 23°25'34.51"	पू 91°30'24.70"
6	महेशपुर	ਤ 23°21'59.51"	पू 91º19'19.31"
7	कलीकृष्णानगर	ਤ 23°19'39.89"	पू 91°17'55.54"
8	रंगामुरा	ਤ 23°15'30.66"	पू 91°19'08.06"
9	बतीशा	ਤ 23º12'01.74"	पू 91°19'47.16"
10	राजनगर	ਤ 23°17'54.34"	पू 91°24'27.28"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 4776(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: -esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Trishna Wildlife Sanctuary declared on 18-11-1988 vide Government of Tripura Gazette notification No.F.8(58)/For-WL/88/Vol-II/39253 dated 18.11.1988 with an area of 194.708 Sq. km. the Sanctuary was notified in terms of cadastral survey plots and not in terms of outer boundaries. The core zone has the best forest available in the Sanctuary and is exclusively for the wildlife and would not have to shoulder the burden of meeting the requirements of the people. The total area of the core zone would be about 50 sq. km. out of which 31.63 km has been notified and Bison National Park Vide No. F.8 (196)/For-WL/204/NP/V-2/5503 dated 09-06-2009 with a sole objective to regulate certain activities and also to minimize the negative impacts of such activities on fragile eco system encompassing the protected area.

AND WHEREAS, a meeting of the committee was held on 20.12.2012. The committee desired that it would be appropriate to include the zone around 0.5km maximum around the sanctuary subject to the existence of floral and faunal diversity and also realizing the fact that the Sanctuary in surrounded by Indo-Bangla border on three sides and also the existing habitation adjacent to the Sanctuary. In the meeting all pros and corns of the proposal to be initiated in discussed and unanimously a resolution with their comments in regard to the finalization of the proposal is resolved.

AND WHEREAS, the Trishna Wildlife Sanctuary has morphological importance due to its richness in floral and faunal bio-diversity. The area has a viable population of key species viz, Gaur, primates like, Hollok gibbon, spectacle monkey in total six species, a large number of fauna which from part of high rainfall forest ecosystem of the

Sanctuary and are generally endangered either locally or at the level of state or country. Ecological function of the Sanctuary also includes maintaining a healthy soil and water regime, thereby ensuring higher level of production in agriculture and fisheries etc in this area. The area has high potential for promoting eco tourism.

AND WHEREAS, the Sanctuary posse a good number of Bison Population and is the only sanctuary in the state having such population. Beside this, the sanctuary also supports six primates species belonging mostly from the scheduled species. The sanctuary also caters the population of other important species of Reptiles and is also the unique place for migratory birds. A research in exploration of flora was conducted by the Botany Department of Tripura University and as per findings the abstract is there for 400 Species. Out of 400 Species 160 Species is used as medicinal, 140 Species used as timber, 30 Species as tannin & dye yielding, 20 Species is fruit bearing, 17 Species are ornamental & avenue, 15 Species used as fodder, 10 Species are condiment and spices, TWLS also harbor one rare Gymnosperm, *Gnetum monatanum*.

AND WHEREAS, the Census of Wildlife was carried out in 2010 during 18th to 20th of February. A total of 86 Nos. major Species was counted. Examples include Barking deer, Clouded leopard, Jungle cat, Pigtailed macaque, Spectacle monkey, Slow lorries, Crab eating mongos, Serpent eagle, Wood pecker, Jungle myna, Red vent bulbul, Spectacle cobra, Grey heron, Great egret, Fairy blue bird etc.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero (due to Indo-Bangladesh International Border) to 500 metre around the boundary of Trishna Wildlife Sanctuary in the State of Tripura as the Trishna Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1.** Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero (due to Indo-Bangladesh International Border) to 500 metre around the Trishna Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is **91.83 Sq. Km.**
- (2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at Annexure I.
- (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at Annexure IIA-B.
- (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III** (A) and (B) respectively.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is

specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panjayati Raj;
 - (xi) Public Works Department;
 - (xii) Highways;
 - (xiii) Tripura State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. -

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
- (v) Promoted activities and given in paragraph 4;
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies. The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural Heritage.** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

- (6) **Noise pollution.** The Environment Department of the State Government or Tripura State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.**—Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:
- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) Bio-medical waste. Bio-medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management**. —The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste**. The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.
- (15) **Vehicular Pollution.** —Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- (18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activities	Description	
	A.Prohibited activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals) stone quarrying	
		and crushing units are prohibited with immediate effect except for	
		meeting the domestic needs of bona fide local residents including	
		digging of earth for construction or repair of houses and for	
		manufacture of country tiles or bricks for housing and for other	
		activities.	
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the	
		order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of	
		T.N. Godavarman Thirumalpad vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995	
		and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P.	
		(C) No. 435 of 2012.	
2.	Setting of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the	
		Eco-sensitive Zone.	
3.	Setting of industries causing	No new industries and expansion of existing polluting industries in the	
	pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.,).	Eco-sensitive zone shall be permitted.	
		Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per	
		classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution	
		Control Board in February 2016, unless so specified in this notification.	
		In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.	
4.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
5.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
6.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.	
	•	(b) Regulated activities	
7.	Establishment of Commercial Hotels and Resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one	

		kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of
		Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary
		structures for Eco-tourism activities.
		Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the
		protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is
		nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall
		be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as
		applicable.
8.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		(b)The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
9.	Discharge of treated waste	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter
	water/effluents in natural water	into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of
	bodies or land area.	treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste
		water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Regulated under applicable law.
11.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable law.
12.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable law.
13.	Commercial use of nature water resources including ground water harvesting.	Regulated under applicable law.
14.	Erection of electrical cables.	Regulated under applicable law.
15.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable law.
16.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable law.
17.	Widening of roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules
		and regulation and available guidelines.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
20.	Sign boards & hoardings.	Regulated under applicable laws.
		(c) Promoted activities
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities.	Promoted under applicable laws for use of locals.
22.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
23.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
24.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
26.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.— The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely:—

1.	Hon'ble Sabhapati, Dakhsin Tripura Zilla Parisad, Udaipur	Chairman;
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of	Member;
	wildlife conservation to be nominated by State Government	
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State	Member;
	Government	
5.	A representative from State Public Works Department	Member;
6.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
7.	Wildlife Warden, Trishna WLS	Member Secretary.

6. Terms of Reference. —

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be

- competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/44/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	Northern side of proposal Eco-Sensitive Zone of Trishna Wildlife Sanctuary consists of Samukhcherra		
	& Garjee R.F.The area is little undulating with perennial streams and natural forests.		
North East	North Eastern (NE) boundary of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary		
	consists of Chandrapur RF of Udaipur Civil Sub-Division. The area is more or less having gentle		
	undulation with perennial streams and natural forests.		
South East	st South Eastern (SE) boundary of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctu		
	consists of Purba Pipariakhola & Kashari Mouja of non-forest land. The area is having more		
	undulation with perennial streams and rich in biodiversity.		
South	Southern boundary of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary consists of		
	Jaganath Dhigi RF and falls under Purba Anandapur, Dakshin Krishnapur & Radhanagar mouja		
	respectively. A portion of non forest land also exists in Uttar Krishnapur, Dakshin Krishnapur and		
	Purba Anandapur. The area is little undulating with perennial streams and natural forests. There are		
	many paddy fields existing in the area.		
South West	South Western side of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary extended up to		
	Indo-Bangladesh Border.		
North West	North Western side of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary consists		
	Khedarbari, Kathalia & Dakshin Taibandai of Sonamura Civil Sub-Division and consists of		

Tulatalibari and Koparchahola RF as well as non forest land respectively. The area is having gentle undulation with perennial streams and natural forests. Paddy fields intermittently exist in the area.


ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Trishna Wildlife Sanctuary, Tripura

S. No.	GPS Points on the boundary of Trishna Wildlife Sanctuary Boundary		
1	N 23 ⁰ 16'12.18"	E 91 ⁰ 20'15.16"	
2	N 23 ⁰ 12'34.25"	E 91°20'29.47"	
3	N 23 ⁰ 13'50.81"	E 91°22'08.87"	
4	N 23 ⁰ 16'31.89"	E 91 ⁰ 24'28.38"	
5	N 23 ⁰ 21'02.21"	E 91 ^o 20'44.14"	
6	N 23 ⁰ 23'12.35"	E 91 ^o 29'30.21"	
7	N 23 ⁰ 24'24.89"	E 91 ⁰ 32'10.62"	
8	N 23 ⁰ 25'30.96"	E 91 ⁰ 34'35.07"	
9	N 23 ⁰ 26'11.19"	E 91 ⁰ 21'43.85"	
10	N 23 ⁰ 26'14.95"	E 91 ⁰ 18'56.37"	

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	GPS Points on boundary of ESZ(500 m) of Trishna Wildlife Sanctuary Boundary	
1	N 23 ⁰ 15'53.19"	E 91 ⁰ 18'54.94"
2	N 23 ⁰ 12'15.07"	E 91°20'33.16"
3	N 23 ⁰ 14'01.12"	E 91°22'37.41"
4	N 23 ⁰ 16'29.99"	E 91°25′23.91"
5	N 23 ⁰ 20'32.39"	E 91°29'04.16"
6	N 23 ⁰ 23'03.74"	E 91 ^o 30'08.58"
7	N 23 ⁰ 24'03.64"	E 91°32'13.02"
8	N 23 ⁰ 25'30.01"	E 91 ^o 35'02.59"
9	N 23 ⁰ 26'19.63"	E 91 ⁰ 21'45.02"
10	N 23 ⁰ 26'24.15"	E 91 ⁰ 18'43.37"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY, TRIPURA ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village Name	GPS Points of habitation / village in ESZ (500 m) of Trishna WL Sanctuary	
1	Barpathari	N 23 ⁰ 17'54.34"	E 91 ⁰ 24'27.28"
2	West Paikhola	N 23 ⁰ 20'34.71"	E 91 ⁰ 28'20.35"
3	Rajapur	N 23 ⁰ 21'59.52"	E 91°30'10.79"
4	Baishabari	N 23 ⁰ 26'10.82"	E 91°34'51.56"
5	Garjee	N 23 ⁰ 25'34.51"	E 91°30'24.70"
6	Maheshpur	N 23 ⁰ 21'59.51"	E 91 ⁰ 19'19.31"

[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

7	Kalikrishnanagar	N 23 ⁰ 19'39.89"	E 91 ⁰ 17'55.54"
8	Rangamura	N 23 ⁰ 15'30.66"	E 91 ⁰ 19'08.06"
9	Batisha	N 23 ⁰ 12'01.74"	E 91 ⁰ 19'47.16"
10	Rajnagar	N 23 ⁰ 17'54.34"	E 91 ⁰ 24'27.28"

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: — Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.